राजस्थान सरकार
वित्त (वित्तीय नियम) विभाग

क्रमांकः प.2(3)वित्त/वित्तीय नियम–एसपीएफसी/2025 जयपुर, दिनांकः 15/06/2026

परिपत्र

विषय : राजकीय विभागों में किये जाने वाले माल एवं सेवाओं के उपापनों में "मेक–इन इंडिया" उत्पादों को प्राथमिकता प्रदान करने के संदर्भ में।

सभी उपापन प्राधिकारियों का ध्यान वित्त विभाग की समसंख्यक अधिसूचना संख्या प.2(3)वित्त/वित्तीय नियम–एसपीएफसी/2025 दिनांक 12.06.2026 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2026–27 के पैरा संख्या 136 **"Ease of Doing Business"की दृष्टि से सरकारी खरीद में पारदर्शिता एवं प्रतियोगिता सुनिश्चित किये जाने के साथ ही राजकोष के जनहित में सर्वोत्तम उपयोग के लिये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कार्य करते हुए राज्य में किये जाने वाले Public Procurement में देश में निर्मित Goods & Services को प्राथमिकता दी जायेगी**, के संबंध में सुसंगत प्रावधान किये गये हैं।

यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 6 (2) सपठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम–33 के प्रावधानों में घरेलू उद्योगों की अभिवृद्धि, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की सामाजिक एवं आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देने की दृष्टि से किसी भी बोली लगाने वालों के प्रवर्ग को उपापन की विषयवस्तु के आज्ञापक उपापन (Mandatory Procurement) के लिये उपबंधित करने का प्रावधान किया गया है।

उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017 एवं समय–समय पर जारी संशोधनों को समाहित करते हुए निम्न दिशा–निर्देश एतद्द्वारा जारी किये जाते हैं–

1. इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्र. एफ.1(8)वित्त/सावितेनि/2011 दिनांक 19.11.2015 के प्रावधान यथावत लागू रहेंगें तथा इसकी अनुसूची में वर्णित आइटम्स पूर्ववत राज्य की सूक्ष्म एवं लघु श्रेणी के इकाईयों के लिये आरक्षित रहेंगे।

2. उपापन प्रक्रिया के दौरान निम्न श्रेणी के किसी बोलीदाता फर्म के एल–1 घोषित होने पर उपापन की विषयवस्तु की मात्रा का विभाजन निम्न विवरणानुसार किया जायेगा:–

L-1	Distribution
MSEs from Rajasthan	100% quantity order to be placed to the L-1 bidder subject to provisions of this Notification.
Class-I Local Supplier from outside Rajasthan	• 20% quantity order to be placed to the original lowest bidder enterprise. • For remaining 80% quantity, purchase preference shall be given to MSEs of Rajasthan as per provisions mentioned below.
Non-MSE Class-I local supplier from Rajasthan	• 50% quantity order to be placed to the original lowest bidder enterprise. • For remaining 50% quantity, purchase preference shall be given to MSEs of Rajasthan as per provisions mentioned below.
• Non-MSE Non-Class-I local supplier from Rajasthan • Non Class-I Local Supplier from outside Rajasthan	• 20% of quantity order to be placed to the original lowest bidder enterprise. • 40% of quantity, purchase preference shall be given to MSEs of Rajasthan as per provisions mentioned below. • 40% of quantity purchase preference shall be given to eligible local supplier whose quoted rates falling within the margin of purchase preference.

3. Purchase preference to eligible bidders shall be given in the following manner, subject to fulfillment of all required specifications and conditions of the bid :-

(i) opportunity shall be given to the eligible bidders to supply offered quantity. Within the offered quantity for procurement from Micro and Small Enterprises of Rajasthan, 4% of this quantity shall be earmarked for procurement from Micro and Small Enterprises of Rajasthan owned by member of Scheduled Caste or Scheduled Tribe.

(ii) to exercise this option of Purchase Preference, a counter offer would be given to the eligible bidder, which has quoted the minimum rate among the eligible bidders, to match the overall lowest (L-1) rate received.

(iii) in case, the lowest eligible bidders does not agree to the counter offer as per sub clause (ii) above, or does not have the capacity to provide the entire bid quantity, the same counter offer shall be made to the next lowest bidder among the eligible bidders, in that order till the quantity to be supplied is met.

(iv) if the subject matter of procurement is non-divisible in nature, the contract shall be awarded to the original lowest bidder.

3. **स्थानीय उत्पादक को क्रय अधिमान (Purchase preference to the local suppliers)** :–

संदर्भित अधिसूचना के अन्तर्गत स्थानीय उत्पादक के रूप में क्रय अधिमान (Purchase Preference) क्रमशः ऐसे बोलीदाताओं को प्रदान किया जायेगा जो L-1 घोषित फर्म की दरों को मैच करेंगे तथा जिनकी बोली L-1 घोषित फर्म की दरों से 20% की सीमा तक होगी।

4. **स्थानीय सामग्री (Local Content) के संबंध में स्पष्टीकरण** :–

(i) यदि किसी उपापन में एक से अधिक वस्तुओं का क्रय किया जाना है तथा प्रत्येक की दर अलग–अलग है एवं सभी वस्तुओं की दरों के योग के आधार पर न्यूनतम दरदाता का निर्धारण होना है तो ऐसी स्थिति में स्थानीय विक्रेता फर्म, उस फर्म को माना जायेगा जिसके न्यूनतम 50 प्रतिशत आइटम भारत में निर्मित है।

(ii) पुनर्निर्माण (Refurbishing) का अर्थ आयातित उत्पाद की मरम्मत या पुनः स्थिति में सुधार करना है, लेकिन यह निर्माण के समान नहीं है, क्योंकि इसमें कोई नया माल अस्तित्व में नहीं आता है। इसे स्थानीय सामग्री में नहीं माना जायेगा।

(iii) पुनर्विक्रेता (Re-seller) वितरक से स्थानीय स्तर पर प्राप्त आयातित (Imported) वस्तुओं की स्थानीय सामग्री में गणना नहीं की जायेगी।

(iv) पुनः पैक किये गये (Re-pack) /नवीनीकृत (Refurbished) एवं पुनः ब्राण्डेड (Rebranded) उत्पादों को स्थानीय उत्पाद की गणना से बाहर रखा जायेगा।

(iv) न्यूनतम स्थानीय सामग्री (Minimum local content) : किसी आपूर्तिकर्ता को प्रथम श्रेणी के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में वर्गीकृत करने के लिये स्थानीय सामग्री की न्यूनतम आवश्यकता 50 प्रतिशत है। स्थानीय सामग्री का संबंध फर्म की राष्ट्रीयता से नहीं है; एक विदेशी स्वामित्व वाली फर्म भी स्थानीय मूल्यवर्धन (local value addition) करके प्रथम श्रेणी की स्थानीय आपूर्तिकर्ता बन सकती है।

5. **स्थानीय सामग्री का सत्यापन (Verification of Local Content) :-**

(i) बोलीदाता द्वारा बोली प्रस्तुत करते समय यह स्वघोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि उसके द्वारा जिस सामग्री हेतु बोली प्रस्तुत की गई है वह न्यूनतम स्थानीय सामग्री (Minimum Local Content) की पात्रता को पूर्ण करता है।

(ii) राशि रुपये 10.00 करोड़ से अधिक मूल्य के उपापनों में आपूर्तिकर्ता फर्म को फर्म के वैधानिक अंकेक्षक या लागत लेखा अंकेक्षक या किसी कार्यरत सनदी लेखाकार (Chartered Accountant) से स्थानीय सामग्री की मात्रा का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

(iii) समस्त उपापन संस्थाऐं बोलीदाताओं द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत स्वघोषणा (Self Declaration) एवं अंकेक्षकों/लेखाकारों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों की पूर्ण रूप से जांच करेगी।

(iv) यदि कोई स्वघोषणा या प्रमाण पत्र असत्य पाये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में संबंधित बोलीदाताओं के विरूद्ध सत्यनिष्ठा की संहिता (Code of Integrity) का उल्लंघन मानते हुए राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी, जिसमें बोलीदाता फर्म को दो साल तक की अवधि के लिये विवर्जित (Debar) किया जाना भी शामिल है।

(v) इस आदेश के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण किसी उपापन संस्था द्वारा विवर्जित कोई आपूर्तिकर्ता अन्य उपापन संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले उपापनों में प्राथमिकता प्राप्त करने हेतु विवर्जन अवधि के दौरान अयोग्य होगा।

6. **बोली की शर्तों में आवश्यक प्रावधान** :-

(i) उपापन की जाने वाली विषय–वस्तु के संबंध में न्यूनतम स्थानीय सामग्री अवयव (Local content) सामान्यतः 50 प्रतिशत होगा तथा मेक इन इंडिया को वरीयता देने की प्रक्रिया का उल्लेख बोली आमंत्रण सूचना तथा बोली प्रपत्र में किया जाये तथा बोली प्रक्रिया के दौरान इस संबंध में कोई परिवर्तन नहीं किया जावे।

(ii) उपापन संस्थाऐं उपापन प्रक्रिया में टर्नऑवर, उत्पादन क्षमता तथा वित्तीय क्षमता इस प्रकार निर्धारित करे जिससे कि स्थानीय उत्पादक बोली प्रक्रिया से अनावश्यक रूप से बाहर नहीं हो जावे।

(iii) बोली दस्तावेज में विदेशी प्रमाण–पत्रों, अनुचित तकनीकी विशिष्टियों/ब्रांड/मॉडल इत्यादि का उल्लेख करना स्थानीय कंपनियों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक और भेदभावपूर्ण होगा। यदि किसी स्थिति में भारतीय मानकों (Indian Standards) की अनुपलब्धता होती है तो विदेशी प्रमाण पत्रों (foreign certification) का प्रावधान सक्षम अनुमोदन के उपरांत रखा जावे।

(iv) स्वदेशी उत्पादकों/आपूर्तिकर्ताओं के विरूद्ध बोली दस्तावेज में प्रतिबंधात्मक एवं भेदभावपूर्ण शर्तें नहीं रखी जावे। इसके बावजूद भी यदि ऐसा किया जाता है तो इस हेतु दोषी अधिकारियों के विरूद्ध प्रशासनिक विभाग के स्तर पर उचित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

7. **<u>छोटी खरीद (Small Purchase)</u>:-** राशि रुपये 5.00 लाख से कम मूल्य के उपापन प्रकरणों में इस परिपत्र में उल्लेखित प्रावधान लागू नहीं होंगे।

उपरोक्त दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

(महेन्द्र मोहन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :–

1. अति.मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल/माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर ।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त ।
7. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव/मुख्य अभियंता, समस्त निर्माण विभाग राजस्थान।
9. वित्तीय सलाहकार, समस्त निर्माण विभाग राजस्थान।
10. कोषाधिकारी समस्त ।
11. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग(कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित ।
12. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग को भेजकर लेख है कि इस आदेश को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर ।
2. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण।

संयुक्त शासन सचिव